न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–16/2019 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. प्रदीप कुमार जैन पुत्र श्री शिखर चन्द जैन
2. अरविन्द सिंह पुत्र श्री त्रिलोक सिंह जाति ब्राहमण सिख,
3. संदीप कुमार पुत्र श्री शिखर चन्द जैन, निवासीयान ग्राम मुबारिकपुर तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।

..... वादीगण अपीलांट्स

बनाम

1. करतार सिंह पुत्र श्री मंगतूराम, जाति जाट निवासी रानीला तहसील चरखी दादरसी जिला भिवानी हरियाणा।

..... असल प्रतिवादी/ रेस्पो0

2. राजस्थान सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।

..... तर0रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री जगदीश चन्द सतीजा, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री चन्द्रमोहन शर्मा, अभिभाषक असल रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–11.12.2019

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.04.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटान ने तहत अदालत में एक राजस्व वाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके मौजा मुबारिकपुर तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी खसरा नंबर 2394 रकबा 3 एयर, 2393 रकबा 11 ऐयर का 27/220 हिस्सा बतरफ पूर्व वादी संख्या 1 व 2 की कब्जे काश्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है जिस पर पुख्ता निर्माण हो रहा है तथा खसरा नंबर 2397 रकबा 48 ऐयर में से 20/48 हिस्सा में से एक आवासीय कम व्यावसायिक भूखण्ड सिरे पूर्व 138 फुट, सिरे पश्चिम 138 फुट, सिरे उत्तर 37 फुट व सिरे दक्षिण 37 फुट वादी संख्या 3 की खरीदशुदा आराजी है, जिसे वादी ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 08.07.2015 के जगजीत पुत्र अवतार सिंह से खरीदा था। उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)

बयनामा में तरफ उत्तर को आम रास्ता दर्ज है अर्थात खसरा नंबर 2397 के तरफ उत्तर को आम रास्ता है न कि कोई आराजी है तथा विवादित आराजी खसरा नंबर 2395 रकबा 20 ऐयर वाके ग्राम मुबारिकपुर तहसील रामगढ जिला अलवर का मौके पर कोई अस्तित्व नही है क्योंकि इसमें मौके पर पक्का डाबर रोड बना हुआ है तथा इस रास्ते के दोनों तरफ वादीगण की आराजी है। उक्त डाबर रोड करीब 40–50 साल से मौके पर कायम चला आ रहा है। किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने विवादित आराजी खसरा नंबर 2395 का एक नुमायशी बयनामा रणजीत कौर वगैरा से करवा लिया है जो बिला कब्जा खिलाफ मौका व कानून है। जिसकी आड में प्रतिवादी, वादीगण की आराजी पर नाजायज कब्जा करने की कोशिश में है व वादीगण के कब्जे काश्त में बेजा रूकावट व मजाहमत पैदा करता है, जिसका कि उसे कानूनन कोई हक हासिल नही है। चूंकि विवादित आराजी खसरा नंबर 2395 रकबा 20 एयर का मौके पर कोई अस्तित्व नही है और वहां विगत करीब 40–50 सालों से पक्की डाबर रोड बनी हुई है। ऐसी स्थिति में राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है जिसकी घोषणा कराने के वादीगण अधिकारी हैं तथा वादीगण इसी आधार पर वाद में यह भी अनुतोष चाहा है कि प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा उक्त आशय से पाबंद किया जावे कि वो विवादित बयनामा की आड में विवादित आराजी को दीगर लोगों को रहन बय हिबा आदि मुतकिल व मकफूल नही करे तथा खसरा नंबर 2394 रकबा 03 एयर, 2393 रकबा 11 ऐयर का 27/220 हिस्सा बतरफ पूर्व वादी संख्या 1 व 2 की कब्जे काश्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है जिस पर पुख्ता निर्माण हो रहा है तथा खसरा नंबर 2397 रकबा 48 एयर में से 20/48 हिस्सा में से एक आवासीय कम व्यावसायिक भूखण्ड सिरे पूर्व 138 फुट, सिरे पश्चिम 138 फुट, सिरे उत्तर 37 फुट, सिरे दक्षिण 37 फुट जो कि वादी संख्या 3 की खरीदशुदा खातेदारी की आराजी है, के उपयोग व उपभोग में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा नही करे।

प्रतिवादी द्वारा बाद तलबी एक प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि दावा वादीगण काबिल खारिज है। वादीगण ने दावा अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है तथा दावे में विवादित आराजी खसरा नंबर 2395 दर्शायी है, जबकि वादीगण का इस आराजी से कोई लेना देना नही है। वादीगण खसरा नंबर 2395 को गैर मुमकिन रास्ता घोषित करवाना चाहते हैं जबकि कानूनन वादीगण को इस प्रकार की घोषणा कराने का अधिकार नही है। राज्य सरकार अगर चाहे तो सडक घोषित करवा सकती है। नियमानुसार खसरा नंबर 2395 में से सडक का रकबा कम करने के बाद शेष बची भूमि पर प्रतिवादी काबिज है। दावे में विवादित आराजी खसरा नंबर 2395 दर्ज की है जबकि डिक्री में 2393, 2394 को भी दर्शाकर रिलीफ मांगी है। जो आराजी विवादित नही है उसकी बाबत रिलीफ नही मांगी जा सकती है। अतः दावा प्रथम स्टेज पर खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी रेस्पो0 के उक्त प्रार्थना पत्र का वादीगण अपीलांटान द्वारा जबाव प्रस्तुत कर कथन किया गया कि खसरा नंबर 2395 में सरकारी डाबर रोड बनी हुई है, जिसे प्रतिवादीगण ने अपने जबावदावा के पैरा 4 में स्वीकार किया है जिस रोड को गौरव पथ के नामा से जाना जाता है और जहां कोई सरकारी सडक बनी हुई है तो उसके संबंध में कोई भी शख्स व्यक्तिगत रू॰ से दावा ला सकता है क्योंकि सरकारी सडक सार्वजनिक होती है

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज०)

जो किसी व्यक्ति विशेष के स्वामित्व की नही होती है। इसलिये यह गलत है कि वादीगण का इससे कोई लेना देना नही है। वादीगण को दावा लाने का पूरा हक हासिल है तथा उक्त सडक सरकारी के दोनों तरफ वादीगण की आराजीयात है किन्तु इसका नुमायशी बयनामा रणजीत कौर वगैरा से कराया गया है, जो बिला कब्जा होने के कारण आरंभ से ही शून्य है। इसलिये उक्त खसरा नंबर 2395 रकबा 20 एयर को गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया जाकर इसका कागजात माल में अमल दरामद कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि प्रतिवादी विवादित बयनामा की आड में विवादित नंबर को दीगर बदमाश लोगों को मुतकिल करके वादीगण को बेजा नुकसान पहुंचाना चाहता है और वादीगण की आराजी पर नाजायज कब्जा करना चाहता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने व पुलिस ने भी एक प्रकरण में किये गये अनुसंधान में उक्त खसरा नंबर 2395 में डाबर रोड गौरव पथ होना माना है। खसरा नंबर 2395 की चौडाई मौके पर निर्धारित सडक की पैमाइश से कम है अर्थात मौके पर खसरा नंबर 2395 का संपूर्ण रकबा सडक भूभाग है। सडक के अलावा खसरा नंबर 2395 की कोई आराजी तरफ दक्षिण की ओर शेष नही बचती है।जिस कारण उक्त खसरा नंबर का कृषि भूमि के रूप में कोई अस्तित्व नही है। दावे में डिक्री खसरा नंबर 2395के बारे में ही चाही गई है। वादीगण ने यह भी स्पष्ट अंकित किया है कि प्रतिवादी, वादीगण की खातेदारी की आरामी में बेजा रूकावट मजाहमत पैदा करता है इसलिये खसरा नंबर 2393, 2394, 2397 भी वाद में विवादित है। किन्तु ये तीनों खसरा नंबर वाद के पैरा संख्या 1 में सहबन से दर्ज होने से रह गये थे, जिस बाबत वाद में उचित संशोधन कराने का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। जबाव के अतिरिक्त कथन में यह भी निवेदन किया गया कि प्रतिवादी ने वर्तमान प्रार्थना पत्र अपने जबावदावा में बचाव के लिये कथन किये हैं, उनके आधार पर प्रस्तुत किया है। जबकि कानूनन ओदश 07 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र बचाव में लिये गये कथनों के आधार पर प्रस्तुत नही किया जा सकता है बल्कि वाद के तथ्यों के आधार पर ही पेश किया जा सकता है। इसके अलावा वैसे भी प्रतिवादी ने जो आपत्ति की है, उसको साक्ष्य से ही मैरिट पर तय किया जा सकता है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस समाअंत करके रेस्पो0 का उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. स्वीकार कर अपीलांट का दावा खारिज फरमाया है। जिससे व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि सर्वप्रथम तो वाद के पैरा संख्या 1 में जो वादीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 2393, 2394, 2397 का अंकन होने से सहबन से रह गया, उस बाबत संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र अपीलांट द्वारा ओदश 06 नियम 17 जा.दी. के तहत प्रस्तुत किया गया था। जिसका तहत अदालत ने कोई निर्णय नही किया और अपीलांट का दावा खारिज फरमा दिया। जबकि तहत अदालत को आदेश 07 नियम 11 जाब्ता दीवानी एवं आदेश 6 नियम 17 जाब्ता दीवानी दोनों ही प्रार्थना पत्रों का निस्तारण एक साथ करना चाहिये था। किन्तु तहत अदालत

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज०)

ने गौर नही किया। जिस कारण से तहत न्यायालय ने गलत तरीके पर निष्कर्ष निकालते हुये महज खसरा नंबर 2395 का ही दावा मानकर बेजा तरीके पर प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया है। जबकि पूर्ण वाद पत्र को पढने से यह स्पष्ट जाहिर हो रहा था कि वादीगण का दावा आराजी खसरा नंबर 2395 के अलावा 2393, 2394 व 2397 का भी था। जैसा कि दावा हाजा के पैरा संख्या 2 व 11 में दर्ज किया हुआ है। ऐसी सूरत में वादीगण का वाद मात्र खसरा नंबर 2395 को आधारित मानकर गलत प्रकार से दावा खारिज किया है। जहां तक खसरा नंबर 2395 रकबा 20 एयर को गैर मुमकिन रास्ता घोषित कराये जाने का प्रश्न है, इसका पूरा अधिकार अपीलांट को कानूनन प्राप्त है क्योंकि इस खसरा नंबर में सरकारी गौरव पथ सडक बनी हुई है तथा सडकों का निर्माण आम आदमी के द्वारा सरकार को दिये जाने वाले टैक्स की राशि से कराया जाता है। इसलिये सरकारी सडकों के बाबत प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिशः दावा लाने का पूरा हक कानूनन हासिल है। क्योंकि सडक किसी भी व्यक्ति विशेष के स्वामित्व की नही होती है अपितु सार्वजनिक होती है और सार्वजनिक संपत्तियों पर प्रत्येक नागरिक का सार्वजनिक रूप से हित निहित होता है। अपीलांट द्वारा पेश कानूनी दृष्टांत को तहत अदालत ने पूरी तरह नजर अंदाज करते हुये निर्णय पारित कर धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा के विपरीत जाकर अपीलांटस का दावा खारिज किया है।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के दौरान आगे कथन किया कि रेस्पो0 ने वर्तमान प्रार्थना पत्र अपने जबावदावा में बचाव के लिये जो कथन किये हैं, उनके आधार पर प्रस्तुत किया है जबकि कानूनन आदेश 07 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र बचाव में लिये गये कथनों के आधार पर प्रस्तुत नही किया जा सकता है। बल्कि वाद के तथ्यों के आधार पर ही पेश किया जा सकता है। इसके अलावा वैसे भी रेस्पो0 ने जो आपत्ति की है उसको साक्ष्य से ही मैरिट पर तय किया जा सकता है। वाद में सहबन से हुई त्रुटि के आधार पर भी दावा खारिज नही किया जा सकता है विशेष रूप से जबकि उसके संशोधन के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया हो। किन्तु तहत अदालत ने इस पर कतई गौर नही किया एवं बिना न्यायिक विवके का इस्तेमाल किये अपीलांट का दावा खारिज कर दिया। प्रतिवादी के आवेदन पत्र में उल्लेखित आधार आदेश 07 नियम 11 जाब्ता दीवानी की परिधि में नही आते हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.04.2019 अपास्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया। उन्होंने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

RRD 2017 page 278, DNJ 2016(4) RAJ 1612, RRD 2016 page 169 &540, DNJ 2011 SC 456, AIR 2000 SC 2740.

जवाब में अभिभाषक असल रेस्पो0 का बहस में कथन है कि अधीनस्थ अदालत में वादीगण अपीलांट ने गलत तथ्यों के आधार पर दावा पेश किया जो प्रथम स्टेज पर ही खारिज होने योग्य था। वादीगण अपीलांट दावा अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्ध लाये और दावे में वादीगण ने विवादित आराजी खसरा नंबर 2395 दर्शायी है जबकि वादीगण अपीलांट का आराजी खसरा नंबर 2395 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम मुबारिकपुर तहसील रामगढ से कोई लेना देना नही है और ना ही वादीगण उक्त आराजी को 188 का दावा लाने का अधिकारी है। वादीगण खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज०)

नंबर 2395 को अपने दावा में सडक घोषित करवाना चाहते हैं जबकि कानूनन वादीगण को इस प्रकार की घोषणा कराने का अधिकार नही है राज्य सरकार अगर चाहे तो सडक घोषित करवा सकती है । वादीगण जो सिविल परसन है उनको इस तरह का दावा करके प्रतिवादी की आराजी को सडक घोषित करवाने का अधिकार नही है उनका दावा मौजूदा सूरत में चलने योग्य नही था। नियमानुसार खसरा नंबर 2395 में से सडक का रकबा कम करने के बाद शेष बची हुई भूमि पर प्रतिवादी काबिज है और उक्त गलत दावा की आड में वादीगण उपरोक्त आराजी को हडप करने की गरज से जबरन कब्जा करना चाहते है जिस कारण उन्होंने गलत तथ्यों के आधार पर यह दावा पेश किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट से भी प्रमाणित है कि सडक के बाद 2395 के शेष बचे रकबे पर प्रतिवादी काबिज है। वादीगण अपीलांट ने दावा आराजी खसरा नंबर 2395 को दर्शाया है और डिक्री की रिलीफ में खसरा नंबर 2393 व 2394 को भी दर्शाया है जिस बाबत यह रिलीफ मांगी है कि उक्त आराजी के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत न करे जबकि उक्त आराजी दावा तहत अदालत में विवादित था ही नही तो वादीगण अपीलांट उक्त आराजी की बाबत रिलीफ कैसे मांग सकते हैं।वादीगण विवादित आराजी 2395 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम मुबारिकपुर के रिकॉगनाईज्ड खातेदार नही है इस कारण वो उक्त आराजी की बाबत प्रतिवादी को पाबन्द कराने के अधिकारी नही है। क्योंकि उनको विवादित आराजी की बाबत ऐसा दावा लाने का अधिकार न तो था और न है उनका दावा गलत तथ्यों पर आधारित है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।उन्होंने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

DNJ 2016 page 664, DNJ 2005 page 513, WLC 1999(1) 184, DNJ 2015 page 242.

अधिवक्ता रेस्पो0 ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 के संदर्भ में कथन किया कि प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज अहम दस्तावेज हैं जो कि अधीनस्थ अदालत में पेश नही किये गये जा सके। दस्तावेज आराजीयात से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जिससे न्यायनिर्णय में सुविधा होगी।

जबाबुल जबाव अधिवक्ता अपीलांट का तर्क है कि दावा सार्वजनिक हित का है। सिविल कोर्ट में अपीलांट पार्टी नही है। तहसीलदार रिपोर्ट का इस वाद से कोई संबंध नही है। उक्त दस्तावेज अधीनस्थ अदालत में पेश क्यों नही किये। संपूर्ण दावा को समग्रता के रूप में देखा जाना चाहिये। सिविल कोर्ट में स्थगन नही किया तो इस वाद में किस प्रकार उपधारणा की जा सकती है।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपील के तथ्य तथा वाद के तथ्यों का अवलोकन किया गया और अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.04.2019 का अवलोकन किया गया ।

प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 के संबंध में– उक्त प्रार्थना पत्र दस्तावेज वाद के तथ्यों से संबंधित है परन्तु सिविल कोर्ट का इस बिंदु पर क्या निर्णय रहा है उसकी क्या व्याख्या की गई है, संलग्न नही है। आदेश 07 नियम 11 के प्रार्थना पत्र के निर्णय में उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज०)

दस्तावेज किस प्रकार सहायक होंगे, का किसी प्रकार का कोई तर्क प्रस्तुत नही किया गया है।

अतः उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 खारिज किया जाता है।

यदि कोई भी व्यक्ति आम हितों को प्रभावित करने वाला कोई कार्य करना चाहता है तो किसी भी व्यक्ति/प्रभावित व्यक्ति को वाद लाने का अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति अपने कथन में किसी तथ्य को स्वीकार कर लेता है तो उसको साक्ष्य के संदर्भ के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस प्रकरण में सार्वजनिक रास्ता के अवरोध बाबत संदर्भ है।

यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि वाद में वर्णित कथन ही आदेश 07 नियम 11 के तहत दायर प्रार्थना पत्र के निवारण का आधार होगा।

लम्बित वाद में दायर आदेश 07 नियम 11 का प्रार्थना पत्र रेस्पो0 यह सिद्ध करने में असफल रहे कि वाद का कौनसा कथन विधि बाधित है।

वाद में साक्ष्य को रिकार्ड पर लेने के बाद ही निर्णय करना चाहिये। इस स्तर पर वाद के कथनों पर निश्चित रूप से विचार करना चाहिये।

आर.एल.डबल्यू 2011(2)राज. 1291 सिविल प्रकिया संहिता आदेश 07 नियम 11 के तहत आवेदन पत्र पर परीक्षण करने की अवस्था में विचारण न्यायालय द्वारा जिस विषय सामग्री का अनुसंधान करना आवश्यक होता है, अभिनिर्धारित वाद पत्र के निरस्तीकरण हेतु सीपीसी के आदेश 07 नियम 11 के तहत जब आवेदन पत्र दायर किया जाता है उस अवस्था में न्यायालय को इस बात का परीक्षण करना होता है कि क्या स्वयं वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों पर आधारित विषय का परीक्षण करने की न्यायालय को अधिकारिता है और आगे किसी समर्पित सामग्री के अनुसंधान की आवश्यकता नही होती?

आर.एल.डबल्यू 2007(2) 999 वादी की पोषणीयता संबंधी बिंदु तो केवल जबावदावा पेश करने एवं विवाधक विरचित करने के बाद ही विनिश्चित किया जा सकता है। वह पोषणीयता है या नही इस प्रश्न का विनिश्चय विवाधक विरचित करने के बाद और विवाधकवार उनका विनिश्चय करने के बाद ही किया जा सकता है।

वादपत्र के प्राक्कथनों से ऐसा कोई निष्कर्ष नही निकलता है जिसे आदेश 07 नियम 11 के 05 घटक में से एक भी हो।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.04.2019 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी अलवर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वाद में जबावदावा के आधार पर, विवाधक विरचित करने व साक्ष्य के आधार पर विवाधकवार विनिश्चय करें। खर्चा अपना-अपना वहन करें ।

पक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि वे तहत न्यायालय में दि0 13.02.2020 को उपस्थित हो ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 11.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

11.12.19

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज०)